



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1999]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 1999]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि – पत्र

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

का.आ. 2676(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, सं. का.आ. 1632(अ), तारीख 4 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में पक्ति 4 में “प्रमुख पत्तन” के स्थान पर “प्रमुख पत्तन, खदान” पढ़ें।

[फा. सं. एस-12011/3/2014-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव